न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 232/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

प्रभुलाल पिता नाराण जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मनकडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. एजन पत्नि नन्दा जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. प्रधान पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. भंवर पिता हजारी जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. माधु पिता रामा जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. रामेश्वर पिता हीरा जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. भंवर पिता मांगु जाट उम्र वयस्क निवासी आमा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक 11-2-17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम मनकडी, पटवार हल्का आमा, भू.अ. क्षैत्र बडलियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 129 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **बडलियास** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम मनकडी, पटवार हल्का आमा, भू.अ. क्षैत्र बडलियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 129 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 300 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला–भीलवाड़ा